फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

देबीसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपुत निवासी जरसुजी का खेडा

बनाम

भोजा पुत्र छोगा गुर्जर निवासी जरसुजी का खेडा, वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए मुकदमा नंबर 289/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में जस्सू जी का खेडा प.ह. जस्सू जी का खेडा आराजी सं. 106, 107, 109, 110, 111, 112, 227, 274, 274/1, 275, 276 कुल किता 11 रकबा 42.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृशि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 तक के अवलोकन से स्पश्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। जस्सू जी का खेडा प.ह. जस्सू जी का खेडा आराजी सं. 106, 107, 109, 110, 111, 112, 227, 274, 274/1, 275, 276 कुल किता 11 रकबा 42.0300 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक धामणिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रू राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे**। पालना हेतु तहसीदार काछोला को लिखा जावें। **तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **जहाजपुर जिला शाहपुरा**	

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक– 13/05/2024

कमांक/रीडर/2024/[illegible]/2024

निमित्त–

तहसीलदार काछोला

विषयः– प्र.स. 2[illegible]/2024 अनवान देबीसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपुत निवासी जस्सुजी का खेडा <u>बनाम</u> भोजा पुत्र छोगा गुर्जर निवासी जस्सुजी का खेडा, देवा पुत्र कल्याण, नाथु पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी जस्सुजी का खेडा, हरला पुत्र भुरा गुर्जर निवासी जस्सुजी का खेडा, प्रभु पुत्र गोरू गुर्जर निवासी जस्सुजी का खेडा, कालु पुत्र बालु गुर्जर निवासी जस्सुजी का खेडा, रामलाल पुत्र लखा गुर्जर निवासी जस्सुजी का खेडा, शैतान पुत्र कासीराम गुर्जर निवासी जस्सुजी का खेडा, तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम जस्सू जी का खेडा प.ह. जस्सू जी का खेडा आराजी सं. 106, 107, 109, 110, 111, 112, 227, 274, 274/1, 275, 276 कुल किता 11 रकबा 42.0300 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक धामणिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 20000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 2000 रूपये राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/सगन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner